न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज जिला सिरोही

केम्प कोर्ट आल्पा पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	**अप्रार्थीगण**
1. फूलाराम पुत्र मीठाजी 2. चम्पालाल पुत्र मीठाजी 3. रमेशकुमार पुत्र मीठाजी जातियान सुथार निवासी आल्पा तहसील शिवगंज।		1–34 जैसाराम वगैरा पुत्र जसाराम जातियान भील निवासीगण आल्पा तह शिवगंज 35 तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज 36–37 कपूराराम,गुरदाराम पि. मोडाजी सुथार निवासीगण आल्पा

प्रार्थना पत्र सं.– 18/2021

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 22.12.2021

आदेश

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते जमाबंदी संवत् 2072–2075 मौजा आल्पा के खाता संख्या 253 खसरा नम्बर 130/1, 136, 137/2, 139/4, 153/2, 156/2, व 156/4 किता सात कुल रकबा 62–05 बीघा खातेदारी भूमि मे जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 34 की खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 135 वर्तमान खसरा नम्बर 112/1,112/2,113/2,118/2, 132,134/2, 134/3,189 मे से संलग्न नक्शा ट्रेस मे लालस्याही से अकिंत ए से बी व बी से सी तक 20 फुट चौडा रास्ता कदमी से है जो पूर्वजो के समय से है जिसमे आने जाने का रास्ता पूर्व से विधमान है जिसे प्रार्थीगण अपने बोरवेल व खेत पर आने जाने हेतु उपयोग करता आ रहा है जिसे अप्रार्थीगण ने बन्द करने की धमकी दे कर बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी राजस्व आराजी पर कृषि कार्य हेतु जाना मुश्किल हो गया है व खेती नही कर पा रहे है। अतः प्राथीगण खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 130/1, 136, 137/2, 139/4, 153/2, 156/2, व 156/4 मे जाने हेतु 20 फुट चौडा रास्ता दिलाने एव राजस्व रेकर्ड मे तरमीम कर मौके पर सीमाचिन्ह अकिंत कराने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.6.2021 को दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी तथा तहसीलदार शिवगंज को राजस्थान अभिघृति अधि. 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया।

पत्रावली दिनाक 12.11.2021 प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2021 कोर्ट कैम्प आल्पा मे पेश हुई। प्रार्थना पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज ने राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के सम्बध मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 136 मे प्रवेश करने के लिये प्रस्तावित मार्ग खसरा नम्बर 159 किस्म ब–1 मे से गुजरता है जिसके खातेदार श्री कपूराराम गुरदाराम पुत्रगण मोडाजी जाति सुथार निवासी आल्पा जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है जिसके अनुसार प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 119 मीटर तथा चौडाई 06 मीटर कुल क्षैत्रफल 714 वर्गमीटर बनता है जो निकटवर्ती सरकारी मार्ग से जुडता हुआ लघुतम व निकटवर्ती रास्ता है। ग्राम आल्पा के नक्शा लठठा मे अकिंत खसरा नम्बर 135, 158, 138/1, 155, 156, 157 जमाबंदी रेकर्ड मे दर्ज नही है। डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत तहसीलदार शिवगंज के आदेश से नक्शा शुद्व किया गया है नक्शाशीट की अन्तिम प्रिन्ट प्राप्त होने पर रास्ता का नक्शा मे तरमीम किया जायेगा इसी के सम्बध प्राथीगणो ने खातेदार श्री कपूराराम गुरदाराम पुत्रगण मोडाजी जाति सुथार निवासी आल्पा की खातेदारी भूमि मौजा आल्पा के खसरा नम्बर 159 मे से प्रस्तावित रास्ता भूमि रकबा 0–09 बीघा के बदले/एवज स्वयम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 137 मे से 1–00 बीघा भूमि दिए जाने का आपसी राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। ....पेज संख्या दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.05.13 16:07:20 IST
Reason: SelfAttested

Lok adalat

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

पेज संख्या दो

...प्राथीगण एंव प्रस्तावित रास्ता भूमि के खातेदार कपूराराम व गुरदाराम पुत्र मोडाजी जाति सुथार के बीच रास्ता भूमि दिये जाने के सम्बध मे रूपये 100/—नॉन ज्यूडिशियल स्टाप पर लिखित आपसी इकरारनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया इसी अनुरूप तहसीलदार शिवगंज ने मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता होने एव खातेदारी भूमि की पहुच तक अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से एंवम प्रस्तावित रास्ता राजस्व मार्ग से लघुतम दूरी एंव निकटवर्ती होने व रास्ता भूमि खसरा नम्बर 159 मे से रकबा 0—09 बीघा के बदले खसरा नम्बर 137 मे से 1—00 भूमि दिये जाने के सम्बध मे पक्षकारो की सहमति के आधार पर कपूराराम ,गुरदाराम पुत्र मोडाजी को बतौर पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया जाता है एवम पक्षकारो के बीच ईकरारनामा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौका फर्द मय नजरी नक्शा को अनुमोदित किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 159 मे से लाल स्याही से प्रदर्शित मार्क ए से वी एंव सी तक रास्ता भूमि रकबा 0—09 बीघा अप्रार्थीगण के खाते से कम कर राजस्व रेकर्ड व नक्शा में श्रीसरकार बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता खाते में दर्ज करने एवम प्रार्थीगण द्वारा रास्ता भूमि के बदले स्वयम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 137 मे से 1—00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण कपूराराम ,गुरदाराम पुत्र मोडाजी सुथार को दिये जाने के ईकरारनामा के आधार पर उक्त भूमि प्रार्थीगण के खाते से कम कपूराराम, गुरदाराम पिसरान मोडाजी जाति सुथार निवासीगण आल्पा के नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मौका फर्द एंव नजरी नक्शा एंव ईकरारनामा को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश दिनाक 22.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.05.13 16:07:20 IST
Reason: SelfAttested

Lok adalat